

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 768]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2015/चैत्र 23, 1937

No. 768]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2015/CHAITRA 23, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2015

का.आ. 999(अ).— केन्द्रीय सरकार, संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 13 अप्रैल, 2015 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत करती है।

[फा. सं. के-11016/16/2015-यूएस-II]

क्स्मजीत सिद्धू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Department of Justice) NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2015

S.O. 999(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014, the Central Government hereby appoints the 13th day of April, 2015, as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. K-11016/16/2015-US(II)] KUSUMJIT SIDHU, Secy.